(ङ) 1990 में समीक्षा की गई थी जिसके बाद मुआवजे की राशि में वस्तुतः वृद्धि हुई है।

विवरण

जी नहीं। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:—

दावाकर्ता, जो कि मृतक अथवा घायल का निकट संबंधी अथवा अधिकृत अभिकर्ता हो सकता है, दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर मुआवजे के दावे के लिए रेल दावा अधिकरण जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, को रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 के अंतर्गत दावा दायर करना चाहिए। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अधिकरण द्वारा मामले में डिक्री पारित कर दिए जाते ही रेलवे प्रशासन द्वारा दावाकर्ता को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है। बहरहाल, अधिकरण द्वारा मामले के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

(i) दावाकर्ताओं की सुविधा के लिए मुख्यालय खंडपीठ के अलावा स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट खंडपीठें भी स्थापित की जाती हैं;

(ii) किसी भी खंडपीठ में सदस्य की कमी के कारण अपेक्षित होने पर एक खंडपीठ के सदस्यों को अन्य खंडपीठों में तैनात किया जाता है।

(iii) दावाकर्ताओं को उनकी सुविधा और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मौजूदा को एक खंडपीठ से अन्य स्थायी खंडपीठ को हस्तांतरित करने के उनके अनुरोधों को स्वीकार किया जाता है।

मध्य-प्रदेश को कोयले की आपूर्ति करने के लिए रेल डिब्बों का कोटा

6311. श्री दिलीप सिंह भूरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को कोयले के लिए रेल डिब्बों के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़): (क) रेलवे ने कोयले के संचालन के लिए कोटे की सभी सीमाएं समाप्त कर दी हैं, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता अनुसार उद्योगों के लिए कोयले का संचालन प्रत्यायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Employment To Sand owners Iter acquisition of Sand under Urates Railway Project

6312. SHRI GUNDAPPA KORWAR. Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to accord preference to persons in employment whose lands have been acquired for Knokan Railway project;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is any proposal to set up a separate requirement board for the Corporation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Konkan Railway Corporation is following the policy of offering employment to one ward of a family whose land has been acquired, provided the acquisition of land has re-resulted In loss of the sole means of livelihood of the family.

(c) No, Sir.

Diffkulues in EXPERTS from Madras Part

6313. SHRI KRISHAN LAL 8HARMA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ike Sot*&-emf States of the country ate experiencing difficulties and delays in exporting their products through Madras port where the cooling time for the consignments is quite long;

(b) if so, the steps being contemplated to reduce the time at Madras and also to upgrade other ports for the purpose; ami

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANS PORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Si?

(b) and (c) Tie improvement in port performance, productivity and operations is a continuous process. All major ports take necessary steps from tine to time to improve their performance, productivity and operations

National Workshop on Read Safely

6314, SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister ©i SURFACE TRANSPORT be pleased to state:*

(a) whether * National Workshop on Road Safety Management was organised recently; and

(b) if so, the subjects discussed and the measures recommended by the experts and the participants^

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANS-PORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir,

(b) Does not arise

Setting up of Rest Areas Alang Highways

6315. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of SUR FACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have discus sed with we Slate Transport Ministers the policy of creating Rest Areas, along-side major roadways and highways;

(b) if so, details of such discussions;

{«) whether there are any proposals to establish Rest Areas tor iong-distaace road users in Andhra Pradesh; and

Id) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRAMS-PORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (*) No, Sir. However, the Ministry ha« an ongoing scheme for providing passenger oriented wayside amenities along National Highways under Government Sector as well as under Private Sector participation.

(b) Does not arise,

(c) and (d) Under Government Sector Scheme, a site at Palamaner on National Highway-4 in Andhra Pradesh has been identified for development of passenger oriented wayside amenities.

अमुख्य प्रत्तनों की अतिरिक्त क्षमता

6316. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या जल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख पत्तनों की वर्तमान क्षमता 172.6 मिलियन टन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने विद्यमान क्षमता को बढ़ाकर 237 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो यह अतिरिक्त क्षमता कब तक सृजित कर ली जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने यह राशि प्राप्त करने हेतु विभिन्न वित्तीय स्रोतों की पहचान कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त करने का विचार है?

जल-परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) देश के पत्तनों की वर्तमान क्षमता 173.04 मिलियन टन है। आठवीं योजना के अनुसार, योजना के अंत तक क्षमता को बढ़ा कर 237 मिलियन टन किया जाना है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान में 237 मिलियन टन की क्षमता प्राप्त कर ली जाएगी। तथापि, इसमें से 216 मिलियन टन की क्षमता तो आठवीं योजना 1992-97 में ही प्राप्त कर ली जाएगी। आठवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ 2984 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।